खबर संक्षेप

कलेक्टर ने सुनी दूरदराज़ क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आए नागरिकों की शिकायतें और समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न गांवों और नगर के अलग-अलग वार्डों से आए लोगों ने आर्थिक सहायता, पेंशन, आवास, बिजली बिल सुधार और नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर अपनी समस्याएँ दर्ज कराईं। ग्राम झिरिया के उपेंद्र कुर्मी ने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ न मिलने की शिकायत करते हुए सहायता की मांग रखी। नगर पालिका वार्ड क्रमांक 5 की आरती साहू ने पति के निधन के बाद सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम बरूका की सकली बैगा ने पेंशन राशि दिलाए जाने की समस्या रखी। बाणसागर वार्ड क्रमांक 12 के कमल सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। इसी प्रकार मझगंवा गांव के अमित कुमार मिश्रा ने बिजली बिल में त्रुटि सुधार कराने की शिकायत दर्ज कराई। ग्राम देवहरा निवासी सुनील बैगा ने अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत करते हुए शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों की ओर तत्काल प्रेषित किया और समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचे, यही जनसुनवाई का मूल उद्देश्य है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी आवेदनों का पंजीकरण कर उनके निराकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

एनडीपीएस एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार

शहडोल। जिले की देवलोंद पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 सितंबर 2025 को ग्राम बुड़वा स्थित शिवम स्वीट्स के पास आरोपी राजेश गुप्ता के कब्जे से कोरेक्स सिरप बरामद किया गया था। पूछताछ में राजेश गुप्ता ने बताया था कि उसे यह कोरेक्स नंदू उर्फ मुकेश जायसवाल पिता रामाधार जायसवाल निवासी ग्राम चौरी द्वारा उपलब्ध कराया गया था। घटना के बाद से मुकेश जायसवाल फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा लगातार तलाश किए जाने के बाद 8 दिसंबर 2025 को आरोपी मुकेश जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर जप्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी को 9 दिसंबर को माननीय न्यायालय शहडोल में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई में एसडीओपी ब्यौहारी मुकेश अविद्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी सुभाष दुबे, उपनिरीक्षक हरिभान सिंह परस्ते, आरक्षक अभिषेक तिवारी, ओमप्रसाद तिवारी, आदित्य सिंह और शिवेष त्रिपाठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद, आरोपी गिरफ्तार

शहडोल। जिले की धनपुरी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी गई मोटरसाइकिल को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 दिसंबर 2025 को फरियादी रोहित चौधरी निवासी ग्राम बंधवा बड़ा थाना कोतवाली शहडोल ने धनपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह 7 दिसंबर को अपनी बुआ सुनीता चौधरी के घर पुरानी बस्ती धनपुरी आया था। उसने अपनी एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल को घर के बाहर आंगन में लॉक कर खड़ा किया था, लेकिन अगली सुबह करीब 6 बजे वाहन गायब मिला। चोरी हुई मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 25,000 रुपये बताई गई। रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तत्परता से जांच शुरू की। संदेह के आधार पर पुलिस ने पुरानी बस्ती धनपुरी निवासी 27 वर्षीय आरोपी मुकेश पाल को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात स्वीकार कर ली।

कोर्ट के आदेश की धज्जियां, विवि प्रशासन की तानाशाही पर बवाल

विश्वविद्यालय बना विवादों का अखाड़ा

कुलगुरु के मौखिक फरमान पर 6 अतिथि कर्मचारी बर्खास्त

पं. शंभू नाथ शुक्ला विश्वविद्यालय एक बार फिर गंभीर प्रशासनिक अराजकता और कानूनी अवमानना के आरोपों के चलते विवादों के केंद्र में आ गया है।

शहडोल।

विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप है कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट स्थगन आदेश को दरकिनार करते हुए, कुलगुरु के मौखिक आदेश पर एक साथ छह अतिथि कर्मचारियों को सेवा से बाहर कर दिया गया है। कर्मचारियों ने इसे न्यायपालिका को चुनौती और प्रशासनिक मनमानी की पराकाष्ठा बताया है।

कोर्ट से राहत, फिर भी बर्खास्तगी का फरमान

मामले की जड़ें विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के खिलाफ अतिथि कर्मचारियों द्वारा दायर की गई याचिका में हैं। सूत्रों के अनुसार, समस्त अतिथि कर्मचारियों ने अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। न्यायालय ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया था कि किसी भी याचिकाकर्ता को उसकी सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि इस कानूनी कवच के बावजूद, दीपावली के आसपास विश्वविद्यालय प्रशासन ने अचंभित करने वाला कदम उठाया। कुलगुरु डॉ. राम शंकर के कथित मौखिक आदेश पर कई कर्मचारियों को ड्यूटी पर न आने का निर्देश दे दिया गया। कर्मचारियों का दावा है कि कुलगुरु ने बिना किसी लिखित आदेश, चार्जशीट या सुनवाई के, यह फरमान सुनाया कि विभागीय जांच पूरी होने तक इन कर्मचारियों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। बाहर का रास्ता दिखाए गए कर्मचारियों में आर.एस. गुप्ता, राहुल गुप्ता, अंकित बघेल, तहसीन बानो, प्रतीक यादव और गंगाराम कुशवाहा शामिल हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे। यह सीधे-सीधे कोर्ट के स्थगन आदेश का उल्लंघन है। कुलपति क्या यह मानकर चल रहे हैं कि उन पर न्यायालय का कोई नियम लागू नहीं होता? यह शक्ति का अनुचित उपयोग और पद का दुरुपयोग है।

वेतन वृद्धि की मांग करने वालों पर गिरी गाज!

यह बर्खास्तगी केवल कानूनी अवमानना का मामला नहीं है, बल्कि इसमें दुर्भावनापूर्ण पक्षपात की बू भी आ रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने हाल ही में कुछ कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की थी, जबकि कुछ की वेतन कटौती कर दी गई थी। जब वेतन संबंधी स्पष्टीकरण लेने के लिए कर्मचारियों का समूह कुलगुरु से मिला, तो हैरानी की बात यह हुई कि जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि हुई थी, उन्हीं को सबसे पहले नौकरी से निकाल दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से प्रतिशोध की भावना से की गई है। वे अपनी जायज वेतन माँग के लिए खड़े हुए और बदले में उन्हें बिना किसी नोटिस के बाहर फेंक दिया गया।

अधिकारों का गला घोंटने की साजिश

सबसे चौंकाने वाला और गंभीर आरोप यह है कि रजिस्ट्रार कार्यालय ने कथित तौर पर एक नया आंतरिक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अतिथि कर्मचारियों को अब नियमितीकरण का लाभ नहीं मिलने और भविष्य में कोई कानूनी दावा न कर सकने की शर्त थोप दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि यह आदेश सीधे-सीधे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि वे अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा भी न खटखटा सकें। यह प्रशासनिक चाल विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी को स्थायी बनाने की साजिश प्रतीत होती है।

बिना प्रक्रिया नौकरी छीनने की तलवार

विश्वविद्यालय में कार्यरत दर्जनों अतिथि कर्मचारी इस घटनाक्रम से गहरे सदमे और भय में हैं। उन्हें डर है कि कभी भी, किसी भी अधिकारी के मौखिक आदेश पर उनकी वर्षों की सेवा को एक झटके में समाप्त किया जा सकता है। कर्मचारियों का दर्द है कि वे वर्षों से न्यूनतम वेतन पर बिना सामाजिक सुरक्षा, बिना छुट्टियों के काम कर रहे हैं, और अब उन्हें बिना लिखित आदेश, बिना चार्जशीट और बिना प्रशासनिक प्रक्रिया के बाहर कर दिया गया। यह कार्रवाई प्रशासनिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो दिखाता है कि विश्वविद्यालय में अंधेरगर्दी चल रही है।

ब्लैक स्पॉट सुधारें, वरना नपेंगे जिम्मेदार: कलेक्टर

मौत के गड्ढे तत्काल भरें, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, दो-टूक चेतावनी

शहडोल। जिले में सडक़ हादसों से हो रही आकस्मिक मौतों पर कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने आक्रामक रुख अपना लिया है। मंगलवार को आयोजित सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने संबंधित निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी, आरईएस) और परिवहन विभाग को दो-टूक चेतावनी दी कि यदि तत्काल ब्लैक स्पॉट (सर्वाधिक दुर्घटना स्थल) पर तकनीकी सुधार, रम्बल स्ट्रिप और साइनेज नहीं लगाए गए, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि अब कागजी खानापूर्ति नहीं, बल्कि जमीनी काम दिखना चाहिए।

20 से अधिक मौत के स्पॉट चिन्हित

जिले में 20 से अधिक ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जो लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। कलेक्टर डॉ. सिंह ने आदेश दिया कि इन सभी जगहों पर तत्काल युद्धस्तर पर सुधार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि ब्लैक स्पॉट सुधार, देवलौंद, ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, बुढ़ार और जैतपुर जैसे क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर इंजीनियरिंग त्रुटियों को तुरंत ठीक किया जाए। मुख्य सडक़ों से ग्रामीण मार्ग जहां मिलते हैं, वहां तत्काल रम्बल स्ट्रिप (स्पीड ब्रेकर) लगाई जाए और स्पष्ट साइनेज की व्यवस्था की जाए। सडक़ किनारे की घातक झाडिय़ों की सफाई अविलंब सुनिश्चित की जाए, जो दृश्यता को बाधित करती हैं।

हेलमेट अनिवार्य या पेट्रोल बैन

सडक़ दुर्घटनाओं में हो रही मौतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एक चौंकाने वाला और कड़ा निर्देश जारी किया। समीक्षा में पाया गया कि दो पहिया वाहनों से सर्वाधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं और मौत का मुख्य कारण हेलमेट का उपयोग न करना है। कलेक्टर डॉ. सिंह ने निर्देश दिया कि हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए न केवल व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, बल्कि अब दंडात्मक कार्यवाही भी सख्ती से की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी समय में बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालन पर नियंत्रण हेतु पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस निर्देश को लागू करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी और आपूर्ति विभाग को तत्काल कार्ययोजना बनाने को कहा गया है। साथ ही पेट्रोल पंपों के आस-पास हेलमेट विक्रय की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

बस स्टैण्ड पर अतिक्रमण

कलेक्टर ने परिवहन व्यवस्था को लेकर भी आक्रामक निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी अनपा खान और मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहडोल अक्षत बुंदेला को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिले में संचालित सवारी गाडिय़ों की फिटनेस, परमिट और ओवर लोडिंग की जांच के लिए तत्काल विशेष अभियान चलाया जाए। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही की जाए। शहडोल बस स्टैण्ड में सवारी गाडिय़ों को अब सिर्फ 30 मिनट तक ही रुकने की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड में खड़े खराब और कबाड़ वाहनों को तत्काल हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। रात्रि काल में रुकने वाली बसों की व्यवस्था भी बस स्टैण्ड से बाहर की जाए, ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। नगरीय क्षेत्रों में स्कूल बसों और टैक्सियों की नियमित जांच कर उनके फिटनेस, परमिट और ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित किया जाए और ओवर लोडिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए।

बरसात में टूटी पुलियाओं की मरम्मत हो प्राथमिकता

बैठक में कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग और आरईएस को फटकार लगाते हुए कहा कि बरसात के दौरान जो पुल-पुलियां जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं या जिनकी रेलिंग आदि टूट गई हैं, उनकी मरम्मत को प्राथमिकता दें। सडक़ों में बने मौत के गड्ढों को अभियान चलाकर तुरंत भरें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर के कड़े और आक्रामक निर्देशों से स्पष्ट है कि अब सडक़ सुरक्षा के मामले में लापरवाही करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे।

बचहा नाला एवं तिखवा में किया बोरी बंधान

शहडोल।

जन अभियान परिषद एवं ग्राम पंचायत तथा स्थानीय जन समुदाय के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बोरी बंधान का कार्य किया जा रहा है। ब्यौहारी जनपद पंचायत के सेक्टर 4 तिखवा के सिमरत नाला में नवांकुर संस्था अयोध्या जन विकास समिति देवराव तथा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति अल्हरा की सहयोग से श्रमदान के माध्यम से बोरी बंधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ, इस में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। बोरी बंधान के माध्यम से बचहा नाला में बहते हुए पानी को रोकने में सफलता मिली है, जिससे नाले में पानी का भराव बढने लगा है इस पानी का उपयोग किसान अपनी फसल की सिंचाई के लिए कर सकेंगे, साथ ही पशु पक्षियों को भी पेयजल उपलब्ध होगा। इस अवसर पर नवांकुर संस्था के अध्यक्ष सुदामा प्रसाद गुप्ता एवं परामर्शदाता रामेश्वर पाल ने जल संचय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान का महत्व बताया गया जिसका उद्देश्य खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में संरक्षित रखना है। कार्यक्रम में सरपंच दिलीप जायसवाल ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष रामबहोर सिंह,सचिव रामजी सिंह सदस्य गांव के समाजसेवी, सीएमसीएलडीपी के छात्र एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें।

दूरदराज़ से आए नागरिकों की कमिश्नर ने सुनी समस्याएं

शहडोल।

कमिश्नर सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें संभाग के विभिन्न जिलों एवं दूरदराज़ क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें प्रस्तुत कीं। कमिश्नर गुप्ता ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान शहडोल नगर पालिका वार्ड क्रमांक 38 की निवासी सीमा खटिक ने विधवा पेंशन स्वीकृत कराने की मांग रखी। घरौला मोहल्ला निवासी दीपक केवट ने सीमांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराने की समस्या प्रस्तुत की। वहीं जयसिंहनगर के ग्राम कौआसरई की लीलावती पनिका ने आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन दिया। उमरिया जिले के मानपुर निवासी वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने लंबित वेतन भुगतान की शिकायत दर्ज कराई। अनूपपुर जिले की भारती सिंह सहित अन्य आवेदकों ने शासकीय महाविद्यालय जैतपुर में पुनः कार्य पर रखने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किए। कमिश्नर श्रीमती गुप्ता ने सभी प्रकरणों को संबंधित विभागों को तत्काल प्रेषित करने तथा शीघ्र एवं पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है, इसलिए अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। जनसुनवाई में संयुक्त आयुक्त विकास मगन सिंह कनेश, उपायुक्त राजस्व मिनिषा पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अन्य कई आवेदकों ने भी अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं, जिनका पंजीकरण कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि सभी प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

हरिभूमि

जन्मदिन उत्सव महाबम्पर ड्रा

सांत्वना पुरस्कार विजेताओं के नाम

रायपुर संस्करण - 593. गजेन्द्र कुमार वर्मा पिता\पति लहा राम वर्मा पता- दोंदेखुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 594. भागवत प्रसाद यादव पिता\पति संतराम साहू पता- मकान न. H-16 पुलिस लाइन, 595. अनस सिद्धिकी पिता\पति सरफ राज सिद्धिकी पता- मयूर क्लब पंडरी रायपुर, 596. बिसाहू राम साहू पिता\पति स्व. फगुवा राम साहू पता- गुलाब नगर देवपुरी रायपुर, 597. प्रत्युष बंजारे पिता\पति पिलु राम बंजारे पता- देवपुरी रायपुर, 598. वैदेही नाग पिता\पति नितीन नाग पता- अश्वनी नगर रायपुर, 599. खोमन लाल वर्मा पिता\पति गोपाल प्रसाद वर्मा पता- बिरगांव रायपुर, 600. दीपक साहू पिता\पति विशाल साहू पता- मांढर, 601. प्रमिला साहू पिता\पति पुनऊ राम साहू पता- मांढर रायपुर, 602. मन्नू राम साहू पिता\पति स्व.सुखनंदन साहू पता- देवरी आरंग, 603. चंदन साहू पिता\पति राकेश कुमार साहू पता-दुतकैया राजिम, 604. डोमेन्द्र ध्रुव पिता\पति दुर्गेश ध्रुव पता- धमतरी, 605. संतोषी बाई पिता\पति शत्रुहन देवांगन पता- कोकड़ी कुरूद, 606. सीमा पटेल पिता\पति भारत पटेल पता- जी जामगांव धमतरी, 607. देवकी यादव पिता\पति सुखेन राम यादव पता-स्टेशन पारा वार्ड न.- 11 राजनादगांव, 608. निशांत यादव पिता\पति प्रदीप यादव पता-राजनादगांव, 609. मोनिषा साहू पिता\पति वी. एल साहू पता- नाका पारा वार्ड न.-01 डोंगरगढ़, 610. नवाब अली पिता\पति कसम अली पता- बेमेतरा, 611. श्वेता शर्मा पिता\पति चन्द्र मोहन शर्मा पता- कांकेर, 612. युक्ता साहू पिता\पति श्री फत्ते लाल साहू पता-बालोद, 613. मानसी ठाकुर पिता\पति शैलेन्द्र ठाकुर पता- जगदलपुर, 614. अनीता देवांगन पिता\पति हेमंत देवांगन पता- महासमुंद, 615. नीलकमल मिश्रा पिता\पति स्व. श्री भागवत प्रसाद मिश्रा पता- पांडा तराई कवर्धा, 616. नंदनी नायक पिता\पति स्व. सुखी राम नायक पता- सुहेला, 617. प्रधुम्न वैष्णव पिता\पति खेम वैष्णव पता- सरगीपाल कोंडागांव, 618. तेजेश्वरी पिता\पति आर. त्रिमूर्ति पता- 9F गली न.15 वार्ड 40 सेक्टर 02, 619. हेमलाल वर्मा पिता\पति स्व.मंगलू राम वर्मा पता- इंदिरा कॉलोनी माडल टाउन, 620. सुषमा वर्मा पिता\पति प्रेम लाल वर्मा पता- रवेलीडीह वार्ड न.02, 621. प्रदीप कुमार जैन पिता\पति सुधाकर जैन पता- कैम्प-02 भिलाई, 622. श्रीमती द्रोपती वर्मा पिता\पति धनेश परगनिहा पता- सेक्टर 04 भिलाई, 623. ज्योति सोनी पिता\पति जगदीश प्रसाद सोनी पता- विश्व बैंक कॉलोनी से.-1 भिलाई 3, 624. अफशाना परवीन पिता\पति मो. शामिल पता- कैंप-2 नगर भिलाई, 625. नित्यांश पटेल पिता\पति देवेन्द्र कुमार पटेल पता- मोहलई रोड वार्ड न.56 बछेरा दुर्ग, 626. अंजली पटेल पिता\पति संजय कुमार पटेल पता- मोहलई रोड बछेरा दुर्ग, 627. कीर्ति देवांगन पिता\पति स्व.रमेश देवांगन पता- उतई बंजारी पारा, **बिलासपुर संस्करण** – 628. रजनी तंबोली पिता/पति संतोष तंबोली पता- शांति नगर बाल्को, 629. यशवंत सिंह ठाकुर पिता/पति सुधीर सिंह ठाकुर पता- परसाभाठा बाल्को, 630. हर्ष धीवर पिता/पति दाऊराम धीवर पता- शांति नगर बालको, 631. त्रिषा साहू पिता/पति छवि साहू पता बेलगिरी बालको, 632. नारायण पाल पिता/पति नरेन्द्र पाल पता- नेहरू नगर बालको कोरबा, 633. पंकज पटेल पिता/पति गोवर्धन पटेल पता- बेलाकछार, 634. प्रीति थवाईत पिता/पति अनिल कुमार थवाईत पता- शांति नगर बाल्को, 635. वृंदा साहू पिता/पति चंद्रशेखर साहू पता- परसाभाठा बालको, 636. श्याम बाई नेताम पिता/पति जयसिंह नेताम पता- कोरबा, 637. योगेश साहू पिता/पति गीता साहू पता- बेलाकछार बाल्को, 638. पूर्वी साव, पिता/पति सुरेन्द्र साव पता- परसाभाठा बाल्को, 639. राजेश कुमार बिन्द पिता/पति आर.के. बिन्द पता- शांति नगर बाल्को, 640. रामकुमार कश्यप पिता/पति स्व.पदुमलाल कश्यप पता- गायत्री नगर रजगामार, 641. अहिल्या पांडे पिता/पति लोकनाथ पांडेय पता- कैलाश नगर बाल्को, 642. धनंजय यादव पिता/पति चक्रधर यादव पता- परसाभाठा बाल्को, 643. रतनदास मानिकपुरी पिता/पति चरणदास मानिकपुरी पता- बेलाकछार बाल्को, 644. मंजू साहू पिता/पति नरेन्द्र साहू पता- कांजी हाऊस बाल्को, 645. कमलेश्वरी पिता/पति अनिल खैरवार पता- बस्तीपारा जांजगीर बाल्को, 646. दुर्गेश मरावी पिता/पति राजकुमार मरावी पता- हरदी बाजार, 647. संजय कुमार निर्णेजक पिता/पति भागीरथी निर्णेजक पता- मस्तूरी बाल्कोनगर, 648. तारेश्वरी पिता/पति उल्लू साय साहू पता- नेहरू नगर बाल्को, 649. संदीप केरकेट्टा पिता/पति नीकोलस केरकेट्टा पता- नेहरू नगर बाल्को, 650. अनिता भट्ट पिता/पति संतोष भट्ट पता- कुमगर बाल्को, **भोपाल संस्करण**– 651. अंतिम गहलोद पिता\पति बालमुकुंद गहलोद पता- एच.एस. टाइपकोटरा सुल्तानाबाद, 652. बबलू वर्मा पिता\पति एच.एन पता- 220 बागसेवनिया, 653. वेदेही पिता\पति विश्वजीत गिरी पता- एच.न.528 शिव मंदिर के पास सेमरा गेटभोपाल, 654. शिव यादव पिता\पति हेमराज पता- यादव नया बसेरागंदी बस्तीकोटरा सुल्तानाबाद, 655. अवनि शर्मा पिता\पति सुनील शर्मा पता- गोदावरी कॉलोनी, 656. कमल सिंह रघुवंशी पिता\पति हल्के सिंह रघुवंशी पता- गोदावरी ग्रीन्स विदिशा, 657. आदविक विश्वकर्मा पिता\पति महेन्द्र विश्वकर्मा पता- विदिशा, 658. सरफराज पिता\पति निसार अहमद पता- मकान न. 980 भानपुर विदिशा, **जबलपुर संस्करण**– 659. ओम प्रकाश गौतम पिता\पति सतीश प्रसाद गौतम कोतमा अनूपपुर, 660. मायरा ताम्रकार पिता\पति अमित कुमार ताम्रकार वार्ड नंबर 4 कोतमा अनूपपुर , 661. निशिका गगरेवाल पिता\पति जितेंद्र कुमार वार्ड क्रमांक 10 विकास नगर कोतमा अनूपपुर, 662. राजकुमार साहू पिता\पति - स्वर्गीय रामूलाल साहू ग्राम करौंदी ग्राम शाहपुर, 663. नरेश कुमार साहू पिता\पति शंभू प्रसाद पता- करौंदी ग्राम शाहपुरा डिंडोरी, 664. बृजेश सिंह यादव पिता\पति गजेंद्र सिंह यादव पता- विजय कॉलोनी गाडरवारा, 665. दिव्यांश पुरी गोस्वामी पिता\पति बृजेश पुरी गोस्वामी पता- नयागांव रानी लक्ष्मी बाई वार्ड गाडरवारा, 666. शिवम सोनी पिता\पति राजेश सोनी गाडरवारा।

नियम एवं शर्तें लागू*

शेष विजेताओं की सूची के लिये पढ़ते रहिए हरिभूमि

खबर संक्षेप

21 जनवरी को रवाना होगी द्वारका सोमनाथ के लिए स्पेशल ट्रेन

उमरिया। प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 21 जनवरी को व्दारका सोमनाथ यात्रा हेतु स्पेशल ट्रेन रवाना होगी । जिसके लिए 179 सीट आवंटित की गई है।यात्रा हेतु आवेदन 7 जनवरी तक किए जा सकते है। उन्होंने बताया कि ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक है इस योजना के पात्र है, जबकि महिलाओं के मामले मे आयु सीमा में दो वर्ष की छूट है एवं 65 वर्ष आयु से अधिक आयु के व्यक्तियों को साथ में एक सहायक ले जाने की पात्रता है, ऐसे आवेदन पत्र में सहायक का नाम आवेदक के आवेदन पत्र मे ही सहायक का उल्लेख कराया जाये व आवेदक के नाम के सामने एक्सल शीट पर सहायक का नाम अंकित करे, प्राप्त आवेदन पत्रो का ऑफलाईन एण्ट्री निर्धारित प्रारूप मे कराते हुए प्राप्त आवेदन पत्रो की हार्ड/सॉफ्ट कॉपी सत्यापन करते हुए द्वारका-सोमनाथ के लिए 7 जनवरी तक इस कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध करावे।

जन अभियान परिषद ने करकेली में किया बोरी बंधान

उमरिया। जिला समन्वयक रविन्द्र शुक्ल के निर्देशानुसार नवांकुर संस्था सील फाउंडेशन व मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता पाठ्यक्रम के परामर्शदाता व छात्र छात्रा के संयुक्त तत्वाधान में जल संचय अभियान के तहत सेक्टर क्रमांक 1 करकेली के ग्राम करकेली स्थित बन्ना नदी में बोरी बंधान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में नवांकुर संस्था सील फाउंडेशन अध्यक्ष दीपक नामदेव द्वारा जल संचय अभियान के बारे में बताते हुए जल के महत्व एवं इसे सहजने के उपायों के बारे में बताया गया व परामर्शदाता सुनीता सिंह द्वारा भू जल स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होने कहा कि अधिक से अधिक जल को संरक्षित करें व सभी को बोरी बंधान करने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में सीएमसीएलडीपी छात्र अनिलेश नामदेव, सोनू रैदास, अंकित बर्मन, खुशबू सिंह, ऊषा सिंह, शालनी सेन, रानी बैगा, श्वेता कांत सहित अन्य जनप्रतिनिधि व ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

एटक यूनियन कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौरसिया का सम्मान

हरिभूमि न्यूज, जमुना/बदरा। क्षेत्रीय कार्यालय जमुना कॉलोनी एटक यूनियन की आवश्यक बैठक में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। प्रमोद खनडई क्षेत्रीय अध्यक्ष, अयाज अली सचिव सहित सभी पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया। बैठक में कहा गया कि आगामी समय में मजदूर हित में मीडिया के माध्यम से निर्णायक भूमिका निभाई जाएगी कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौरसिया का शाल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। संतोष चौरसिया को यह सम्मान जनहित, श्रमिक अधिकारों और सामाजिक मुद्दों को निडरता व निरंतरता से उठाने तथा उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया, जिनका योगदान क्षेत्र के लिए प्रेरणास्त्रोत है।

वन विभाग की कार्रवाई, लाखों के बाघ के दांत और नाखून जब्त

बाघ के अंग तस्करी का बड़ा खुलासा, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार

उमरिया। वन्यजीवों के अंगों की अवैध तस्करी के खिलाफ वन विभाग की मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। जिले के धमोखर वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग तस्कर को रंगे हाथों धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से बाघ का एक दांत और एक नाखून बरामद हुआ है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में आंकी जाती है। इस सनसनीखेज मामले ने एक बार फिर जिले में वन्यजीव अपराध की जड़ों को हिलाकर रख दिया है।

गुप्त सूचना पर बिछाया गया जाल

मामला धमोखर रेंज के चेचारिया बीट के अंतर्गत रायपुर चौराहे का है। रेंज में गश्त और अपराधियों पर नजर रखने वाली टीम के डिप्टी रेंजर उमेश वर्मा को अपने मुखबिर नेटवर्क से पुख्ता जानकारी मिली थी। सूचना थी कि एक युवक बाघ के बेशकीमती अंगों को बेचने की फिराक में इलाके में घूम रहा है। यह सूचना वन्यजीव अपराध की गंभीरता को देखते हुए तत्काल शीर्ष अधिकारियों को दी गई, और बिना कोई समय गंवाए डिप्टी रेंजर श्री वर्मा ने अपनी विशेष टीम के साथ कार्रवाई का जाल बिछा दिया। अंधेरे और सुनसान इलाके में टीम ने बताए गए स्थान, रायपुर चौराहे पर सादे कपड़ों में मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही देर में टीम को एक संदिग्ध नजर आया। बिना किसी देरी और जोखिम के टीम ने फुर्ती दिखाते हुए घेराबंदी की और संदिग्ध युवक को दबोच लिया। शुरू में युवक ने आनाकानी की, लेकिन जब उसकी सख्ती से तलाशी ली गई, तो युवक के पास से छिपाकर रखे गए बाघ के अंग बरामद हुए।

बरामदगी और चौंकाने वाला खुलासा

बरामद सामग्री में बाघ का एक बड़ा दांत और एक सलीके से रखा हुआ नाखून शामिल था। वन विभाग की टीम ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बरामद माल का पंचनामा तैयार किया और युवक से पूछताछ शुरू की। जब टीम ने आरोपी के पहचान दस्तावेजों (आधार कार्ड) की जांच की, तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, पकड़ा गया संदिग्ध एक नाबालिग निकला। नाबालिग आरोपी के पकड़े जाने के बाद, वन विभाग की टीम ने तुरंत धमोखर रेंज के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही, रेंजर और अन्य उच्चाधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारीयों ने नाबालिग आरोपी को अपनी सुपुर्दगी में लिया और मामले को जघन्य अपराध मानते हुए गहन कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

संगठित गिरोह पर जांच की सुई

वन विभाग अब इस मामले की गहन तहकीकात में जुट गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाघ जैसे अति-संरक्षित वन्यजीव के अंग इस नाबालिग के पास कैसे और कहां से आए? विभाग को आशंका है कि नाबालिग आरोपी अकेला खिलाड़ी नहीं है। धमोखर रेंज के अधिकारीयों का स्पष्ट मत है कि बाघ के अंगों की तस्करी एक संगठित और गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में अक्सर बड़े तस्कर और गिरोह मासूम, गरीब या कमजोर पृष्ठभूमि के किशोरों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करते हैं, ताकि पकड़े जाने पर कानून की रियायत मिल सके।

जांच अब इसी दिशा में केंद्रित

नाबालिग को यह अवैध और कीमती सामग्री किसने दी थी, वह इन अंगों को किस बड़े खरीदार या तस्कर को बेचने वाला था, क्या इस गिरोह के तार दूसरे राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैले हुए हैं, क्या हाल ही में इस क्षेत्र या पास के टाइगर रिजर्व में किसी बाघ का शिकार हुआ है? वन विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या नाबालिग को पैसे का लालच देकर इस जोखिम भरे काम में धकेला गया था।

मॉनिटरिंग और मुखबिर नेटवर्क मजबूत करने का दावा

धमोखर रेंज की टीम ने इस सफल कार्रवाई के बाद दावा किया है कि इलाके में वन्यजीव अपराध को रोकने के लिए लगातार निगरानी को बढ़ाया गया है। रेंज के अधिकारियों ने बताया कि जंगल और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी गई है और मुखबिर नेटवर्क को भी पहले से अधिक मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तुरंत और सटीक कार्रवाई की जा सके। गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिले में बाघों की सुरक्षा को लेकर कड़ी चुनौती बनी हुई है। वन विभाग ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल विभाग को दें। फिलहाल, नाबालिग आरोपी से पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस बड़े रैकेट के पीछे छिपे असली चेहरों से नकाब हट सकेगा।यह कार्रवाई जिले में वन्यजीव अपराधों के लिए एक कड़ी चेतावनी है।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनी आवेदकों की समस्याएं

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के दूर दराज से आए 43 लोगो की समस्याओं को सुना तथा निराकरण के लिए संबंधित विभाग की ओर आवेदन प्रेषित किया ।

जनसुनवाई में लोकचंद सोनी ग्राम मानपुर ने सेवा निवृत्ति पश्चात राशि दिलाने, पेसल मेहरा ने समग्र आई डी सुधरवाने, मो0 इस्लाम खान पूर्व अतिथि शिक्षक ग्राम चंदनिया ने चार माह का वेतन दिलाने,अमिया कोल ग्राम टिकुरी ने राशन दिलाने, लक्ष्मण कुमार बैगा बुढानरामपुर ने संबल योजना के तहत प्रसूती योजना का लाभ पत्नी अंजू को दिलाने, शिवम कुमार धनवाही ने निमाहनटोला निर्माण कार्य पर स्थगन दिलाने, ममता बाई ग्राम बुढना ने मृतक महेंद्र सिंह ने मृत्यु पश्चात आपदा कोष से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने, दुलीचंद सेन लोढा ने सीमांकन कराने,ज्योति कचेर लोढा ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने संबंधी आवेदन किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे ।

गैस कनेक्शन प्रदाय करने हेतु एसओपी जारी

उमरिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय (म.प्र.) भोपाल के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 3.0 के अंतर्गत गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय करने हेतु शासन स्तर से एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई है।

कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 3.0 के अंतर्गत उमरिया जिले में उज्जवला योजना के गैस कनेक्शन से शेष रहे समस्त पीव्हीटीजी परिवारों एवं धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में चिन्हित (अन्य आदिवासी) परिवारों को उक्त योजना का शत प्रतिशत लाभ प्रदान कराए जाने के लिये जिले की ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों अंतर्गत संबंधित 10 गैस एजेन्सियो के आदेश में संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार सूची में दर्शित नियत शिविर तिथियों पर जनजातीय विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में शिविरों का आयोजन किये जाने एवं पात्र हितग्राहियों के केवायसी आवेदन फार्म एकत्रित कर उज्जवला पोर्टल पर दर्ज करने एवं पात्र हितग्राहियों को यथाशीघ्र निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जाना हैं ।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 3.0 के अंतर्गत निर्धारित एसओपी अनुसार शेष रहे समस्त पीव्हीटीजी परिवारों एवं धरती झाबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में (अन्य आदिवासी) परिवारों का सर्वे के दौरान जिले में चिन्हित 254 ग्रामों में निवासरत एलपीजी गैस कनेक्शन विहीन 10.403 आदिवासी परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 3.0 के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन का लाभ चिन्हित ग्राम/ग्राम पंचायतों से संबंधित गैस एजेन्सियों के कर्मचारियों द्वारा नियत 10 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जनजातीय विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में ग्राम पंचायतों में शिविर/कैम्पों का आयोजन कर पात्र हितग्राहियों के केवायसी आवेदन फार्म एकत्रित कर उज्जवला योजना के पोर्टल पर दर्ज कर एवं गैस कनेक्शन जारी करेगे ।

आयोजित शिविर/कैम्पों की समस्याओं के निराकरण हेतु श्री अरविंद कुमार, जिला नोडल अधिकारी , उज्जवला योजना 3.0 जिला उमरिया मो.नं. 9425013760 एवं श्रीमती जागृति प्रजापति, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जिला उमरिया (मो.नं. 8269052355) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं। उक्त गठित दल निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पात्र परिवारों को समय-सीमा में निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी कराना सुनिश्चित करेंगें ।

जमुना कोतमा में एटक यूनियन की नई टीम का गठन

हरिभूमि न्यूजजमुना/बदरा। संयुक्त कोयला मजदूर संघ, एटक एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र की आवश्यक बैठक क्षेत्रीय कार्यालय जमुना कॉलोनी में एसईसीएल महामंत्री अजय विश्वकर्मा की अगुवाई में सम्पन्न हुई। बैठक में संगठन की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिससे यूनियन में नई ऊर्जा और मजबूती का संचार हुआ है। मंच पर प्रभारी के रूप में रवींद्र शुक्ला सोहागपुर अशोक पांडे जोहिला क्षेत्र, महेश यादव बैकुंठपुर क्षेत्र तथा संजय सिंह, उपाध्यक्ष हसदेव क्षेत्र उपस्थित रहे। अजय विश्वकर्मा का मजदूर हित में कहा कि एटक का मूल लक्ष्य मजदूरों के अधिकार और सम्मान की रक्षा है नई कार्यकारिणी मजबूत नेतृत्व के साथ मजदूर हित में निर्णायक भूमिका निभाएगी। सर्वसम्मति से प्रमोद खनडई क्षेत्रीय अध्यक्ष, अयाज अली क्षेत्रीय सचिव, पंचू यादव दृ कोषाध्यक्ष, कैसर अली कार्यवाहक अध्यक्ष, मुरलीधर, मुबारक अली, धनेश कुमार उपाध्यक्ष, अमन कुमार, संजय दुबे, संतोष श्रीवास्तव सह सचिव, तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में राजाराम, अबू बख्श, अभिजीत नायर, कामरेड अहमद, विकास तिवारी, अनिल ठाकुर, उत्कर्ष सिंह, प्रेमलाल राम, समूच, कमल रजक, स्वरूप सिंह, वी. रूप सिंह शामिल किए गए। बैठक में निशा मिश्रा, मुबारक अली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने नई टीम को समर्थन और शुभकामनाएँ दीं युवा नेतृत्व की नियुक्ति से संगठन में नई ऊर्जा और विस्तार की संभावना और मजबूत हुई है।

बिना अतिक्रमण हटाए ही कर दिया गया मॉडल रोड का निर्माण

बिना बिजली पोल हटाये हो गई सड़क पूरी

हरिभूमि न्यूज, कोतमा। निर्माण के शुरुआती दिनों से ही मॉडल रोड विवादों से घिरी हुई थी। दो साल में ही मॉडल सड़क की गुणवत्ता की पोल खुलनी शुरू हो गई है। ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से सड़क निर्माण कार्य किया गया। ठेकेदार के द्वारा सड़क की गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं दिया गया। कई जगह गिट्टियां उखड कर सड़क पर बिखर गई है कई जगह से सड़क में दरार भी आ गई है। वहीं कई जगह से सड़कों में गड्ढे भी हो गए हैं यहां तक की डिवाइडर का निर्माण कार्य भी सही नही कराया गया। सड़क निर्माण कार्य में कहीं सड़क 5 मीटर तो कहीं 6 मीटर तो कहीं 7 मीटर की चौड़ाई लेकर बनाई गई है। तो कही पूर्व निर्मित सड़क किनारे नालियों के ऊपर ही मॉडल रोड निर्माण कार्य कर दिया गया है। तो कहीं बिना बिजली के पोल को शिफ्ट किये बिना ही निर्माण कार्य कर दिया गया है। जबकि स्टीमेट में निर्धारित चौड़ीकरण व अन्य अनियमितताओं को सांठगांठ कर विभागीय मिलीभगत से अनदेखी किया गया है। मॉडल सड़क निर्माण में सड़क के मध्य बनने वाले डिवाइडर को भी 1 मीटर से ज्यादा चौड़ाई का बनाया जाना था, किन्तु उसे भी मनमाने तरीके से आधे फिट में समेट दिया गया हैं। यहां तक की ठेकेदार के द्वारा केशवाही तिराहे के आगे तालाब के पास से तो एकदम सकरी नाली नुमा डिवाइडर का निर्माण कार्य कराया गया है। इस तरह से मॉडल सड़क का निर्माण कार्य अनदेखी के कारण पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ गया।

नहीं हटाया जा रहा अतिक्रमण

माडल सड़क के निर्माण कार्य में सड़क के दोनों ओर पक्के अतिक्रमण हटाए जाने थे जिसको लेकर भी प्रशासन के द्वारा लगभग एक सैकड़ा से अधिक लोगों को नोटिस भी दिया गया था। उसके बाद भी कई बार नोटिस दी चुकी है। वहीं बनिया टोला में कुछ लोग स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिए थे लेकिन अभी भी 20 से 30 अतिक्रमण ऐसे हैं जो नहीं हटाए गए हैं और सडक का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। ठेकेदार के द्वारा लीपापोती कर सड़क का निर्माण कार्य कराया गया। ठेकेदार के द्वारा मॉडल सड़क निर्माण में पूरी तरह से अनियमितता बरतते हुए निर्माण कार्य कराया गया है। यहां तक की ठेकेदार के द्वारा सड़क में लगे बिजली के पॉल को भी नहीं हटवाया गया इसका जीता जागता प्रमाण केशवाही तिराहे से केरहा नाला तक देखने को मिल जाएगा जहां सड़क पर ही अभी भी लोहे के खंबे गड़े हुए हैं जिसके कारण आवागमन करने में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

तोड़ी स्कूल की बाउंड्री

प्रशासन के द्वारा बस स्टैंड के पास पुराने नगर पालिका की एवं शासकीय स्कूल की बाउंड्री तुड़वा दी गई लेकिन पूंजीपति एवं कुछ सफेद पोश लोगों का अतिक्रमण आज भी नहीं हटवाया गया। यहां तक की आज भी शासकीय स्कूल बाउंड्री विहीन नजर आ रहा है जिसके कारण विद्यालय प्रबंधन को हमेशा डर बना रहता है। गुणवत्ता विहीन मॉडल सड़क में जगह-जगह नल जल योजना के ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा रोड को पाइप लाइन की मरम्मत के लिए खोदा गया है लेकिन खोद कर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया जिसके कारण भी सड़क क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। नल जल योजना की पाइपलाइन सड़क के बीचो-बीच होने के कारण पेयजल सप्लाई के लिए बाल्ब भी बीच सड़क पर ही लगा दिया गया है जिसके कारण गड्ढा साफ नजर आ रहा है। पूंजीपतियों के द्वारा बस स्टैंड के आगे एवं केरहा नाला के पास अतिक्रमण नहीं हटाया गया है और दुकान के सामने ही अघोषित रूप से पार्किंग स्थल बना दिया गया है साथ ही मोटर गैराज वालो के द्वारा सड़क के दोनों तरफ मरम्मत के लिए आये वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है जिसके कारण हर दिन वाहनों का सड़क पर ही जाम लगा रहता है जिसके कारण आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मलगा में बोरीबंधान में ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान कर बढ़ाई उम्मीदें

हरिभूमि न्यूज जमुना/बदरा। मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद के नेतृत्व में जल संचयन अभियान को गति देने हेतु विकासखंड अनूपपुर के सेक्टर 05 अंतर्गत ग्राम पंचायत मलगा (बकुलमुनि) में 9 दिसम्बर को बकुल नदी में 98 बोरियों का बोरीबधान सामूहिक श्रमदान से किया गया। कार्यक्रम में नवाँकुर संस्था, नगर विकास प्रस्फुटन समिति पसान, अभिनव समाज सेवा समिति डोला के प्रतिनिधि, परामर्शदाता श्रीमती शिवानी सिंह, श्रीमती कृष्णा देवी, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्य, सीएमसीएलडीपी छात्र पारसराज मुखर्जी, शुभम गुप्ता, अरविंद, दुर्गा, पार्वती, तारावती, आरती, पूजा, वर्षा, रेखा, निशा, सुशीला, मालती सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने जल संचयन व संरक्षण की शपथ लेते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, भू-जल स्तर बढ़ाने, वर्षा जल सतही जल को संरक्षित करने तथा कृषि व पशु-पक्षियों के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। जनअभियान परिषद द्वारा आयोजित यह पहल ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन और जल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

शिक्षा जगत की भर्रेशाही को लेकर शिवसेना ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज कोतमा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे मध्य प्रदेश प्रमुख सुनील शर्मा के आदेश पर शिवसेना मध्य प्रदेश राज्य उपप्रमुख दुर्गेश गुप्ता और शिवसेना संभाग प्रमुख पवन पटेल के निर्देश पर कोतमा नगर प्रमुख बरकत कुरैशी ने 9 नवम्बर को कलेक्टर हर्षल पंचोली के नाम कोतमा अनुविभागीय दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग की है कि कोतमा विकासखंड अंतर्गत छात्रावासों में शिक्षक लंबे समय से अधीक्षक बने हुए हैं। जबकि पूर्व में भी आपके कार्यालय से संलग्नीकरण समाप्त करके शिक्षकों को विद्यालय में मूल कार्य हेतु मुक्त करने का आदेश दिया गया था किंतु कोतमा विकासखंड के छात्रावासों में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहां तक कि कुछ बालिका छात्रावासों में अधीक्षिका के परिवार का आना जाना लगा रहता है जबकि कुछ शिक्षकों को एक से अधिक छात्रावास का प्रभार दे दिया गया है। बालिका रात्रि के समय केवल चौकीदार के भरोसे रहती हैं। उचित मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कार्यवाही किया जावे अन्यथा शिवसेना उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने वालों मे कोतमा नगर प्रमुख बरकत कुरैशी, सचिन केवट, निजाम अंसारी, वाशिद, शाहरुख खान सहित शिवसेना के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दुधमुंहे मासूम की कुएं में गिरकर मौत

हरिभूमि न्यूजकोतमा। समीपी गांव बुढानपुर मे दो साल दो माह के मासूम की कुआं मे गिरने से मौत का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बुढानपुर गांव निवासी कैलाश नापित का पुत्र कार्तिक दो साल दो माह का सोमवार की शाम 6 से 7 बजे के बीच घर में ही खेल रहा था। बार-बार बिजली की आंख मिचौली भी हो रही थी। घर के कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे इस दौरान कार्तिक घर की बाड़ी की ओर चला गया कुछ देर बाद जब बच्चा नहीं दिख तो परिजनों ने तलाश की 1 घंटे के बाद घर की बाडी मे गए तो कुआं में जब देखे तो उन्हें शंका हुआ परिजनों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी रात्रि में ही बच्चे को मृत अवस्था में कुएं से बाहर निकाला गया। मंगलवार की सुबह पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मर्ग कायम करते हुए पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया। मासूम बच्चे की मौत से परिजनों का हाल बुरा है ।

जरूरतमंदों एवं निराश्रितों को पहुंचाया जा रहा रैन बसेरा

कटनी। नगर में रात्रिकालीन पड़ रही शीत ऋतु को देखते हुए महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देशन में नगर निगम द्वारा मानवता सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में संचालित रात्रिकालीन रैन बसेरा वाहन सेवा इन दिनों पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। इस सेवा में संलग्न निगम की टीम के सदस्यों द्वारा रात्रि 12 बजे तक नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों के मुख्य चौराहों, बाजार क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा ओवरब्रिज क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे है।

खबर संक्षेप

जरूरतमंदों एवं निराश्रितों को पहुंचाया जा रहा रैन बसेरा

कटनी। नगर में रात्रिकालीन पड़ रही शीत ऋतु को देखते हुए महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देशन में नगर निगम द्वारा मानवता सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में संचालित रात्रिकालीन रैन बसेरा वाहन सेवा इन दिनों पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। इस सेवा में संलग्न निगम की टीम के सदस्यों द्वारा रात्रि 12 बजे तक नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों के मुख्य चौराहों, बाजार क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा ओवरब्रिज क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे है। भ्रमण के दौरान जरूरतमंद एवं निराश्रित व्यक्तियों की पहचान कर रैन बसेरा वाहन के माध्यम से बस स्टेंड स्थित आश्रय स्थल तक निःशुल्क पहुंचाते हुए रात्रिकालीन विश्राम की व्यवस्था मुहैया करा रहे है। उल्लेखनीय है कि आश्रय स्थल पर ठहरने के लिए गर्म बिस्तर, पेयजल, साफ सफाई,पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सहित प्राथमिक आवश्यकताओं की सुविधाएं बिना किसी शुल्क लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क आश्रय स्थल की सुविधा मुहैया कराकर मौसम जनित जोखिमों को न्यूनतम करना है। निगम प्रशासन ने आमजनों से भी आग्रह किया है कि यदि किसी भी स्थान पर कोई निराश्रित व्यक्ति दिखे तो तत्काल रैन बसेरा वाहन टीम को सूचित अवश्य करें ताकि ऐसे जरूरतमंदों को सुरक्षित आश्रय स्थल तक पहुंचाया जा सके।

हितग्राही परित्यक्ता पेंशन योजना का लें लाभ

कटनी। केन्द्र एवं राज्य शासन की कार्यालय नगर पालिक निगम कटनी के माध्यम से संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिया जा रहा है। ऐसे पात्र हितग्राही जो इस योजना का लाभ लेने से किसी कारणवश वंचित रह गए है, उन हितग्राहियों से भी इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में हितग्राही को 600 रुपये प्रतिमाह अर्थात 7 हजार 200 रूपये प्रतिवर्ष की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है इसके अतिरिक्त आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष होना चाहिए, ऐसी परित्यक्ता महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों और समग्र पोर्टल पर नाम अंकित है वे इस योजना के तहत नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ स्वयं की तीन पासपोर्ट साईज कलर फोटो, बीपीएल कार्ड, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र,अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी, परित्यक्ता का प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, बचत खाता नम्बर अंकित वाली बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ नगर निगम की पेंशन शाखा के कक्ष क्रमांक 42 से संपर्क कर सकते है। योजना में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पदाभिहित अधिकारी हैं।

सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर कमियों को किया जा रहा दूर

कटनी। नगर की स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता में रखकर नागरिकों को बेहतर सफाई व्यवस्था मुहैया कराने के उद्देश्य से निगम प्रशासन दैनिक सफाई व्यवस्था को और अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। निगम की स्वच्छता टीम तड़के सुबह से ही विभिन्न वार्डों में पहुंचकर सड़क, नालियां, सार्वजनिक स्थलों तथा बाजार क्षेत्रों की नियमित सफाई कार्य सुनिश्चित कर रही है। निगम प्रशासन द्वारा समय-समय पर मैदानी निरीक्षण कर सफाई कार्य की प्रगति पर नजर रखी जा रही है तथा जहां आवश्यक है वहां तत्काल निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कचरा संग्रहण वाहनों की नियमित आवाजाही, घर-घर से अपशिष्ट उठाव तथा निर्धारित स्थानों पर ही कचरा निस्तारण के लिए नागरिकों को जागरूक भी किया जा रहा है।

प्रेम विवाह के विवाद में भयानक नरसंहार की साजिश नाकाम

मौत के मुहाने पर तीन जिंदगियां, बुढ़ार पुलिस बनी देवदूत

खंभे से बंधा था दामाद, पिता को जिंदा जलाने की थी तैयारी

शहडोल।

जिले में पुलिस की तेज और जोखिम भरी कार्रवाई ने एक परिवार की तीन जिंदगियां बचाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि संकटकाल में पुलिस ही सच्चा जीवनरक्षक है। बुढ़ार थाना क्षेत्र के जैतपुर इलाके में प्रेम विवाह से उपजे विवाद ने इतना खतरनाक रूप ले लिया था कि ससुराल पक्ष के लोग दामाद, उसके पिता और भाई को जान से मारने पर आमादा थे, लेकिन बुढ़ार पुलिस और डायल-112 की टीम महज कुछ मिनटों में घटनास्थल पर पहुंचकर सामूहिक नरसंहार की साजिश को विफल कर दिया।

खून से लथपथ था भाई पिता के कमरे में पेट्रोल

घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शाही की है। अनिल केवट अपनी पत्नी काजल को लेने ससुराल पहुंचा था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों का गुस्सा चरम पर था। आक्रोशित भीड़ ने अनिल के साथ अमानवीय व्यवहार शुरू कर दिया। अनिल केवट को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा था। अनिल के पिता रामप्रसाद पर हमला किया गया और उन्हें एक बंद कमरे में बंधक बना दिया गया। सबसे भयानक बात यह कि कमरे में रामप्रसाद पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। अनिल का भाई दिनेश मारपीट के कारण खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में पड़ा तड़प रहा था। गांव में खौफ का माहौल था और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी।

फरिश्ते बनकर पहुंचे डायल-112 के जवान

बुढ़ार पुलिस को 3 दिसंबर को नौगई से इस खूनी विवाद की सूचना मिली। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम और बुढ़ार पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचते ही आरक्षक आशीष तिवारी और डायल 112 के पायलट रवि गुप्ता ने बिना देरी किए स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने भीड़ को तितर-बितर किया, अनिल को तुरंत खंभे से मुक्त कराया, आग लगाने की तैयारी कर रहे लोगों को रोका और बंद कमरे में फंसे पिता रामप्रसाद को सुरक्षित बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल दिनेश को भी तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने तत्काल बंधक बनाने और जानलेवा हमला करने वाले ससुराल पक्ष के लोगों को भी मौके से पकडक़र थाने लाया।

एसपी ने किया बहादुरी सम्मान

बुढ़ार पुलिस टीम की इस त्वरित प्रतिक्रिया और उच्च मानवीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने दोनों जवानों को नकद पुरस्कार और सम्मान-पत्र देकर सम्मानित किया। एसपी श्री श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों ने विपरीत परिस्थितियों में साहस और तत्परता का परिचय दिया। बुढ़ार पुलिस और डायल 112 की इस कार्रवाई ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, समय पर पहुंची पुलिस हर जान बचाती है।

13 दिसंबर को होगी वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत

विभिन्न प्रकार के मामलों का होगा निराकरण

शहडोल।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल, के.एन. सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय शहडोल सहित सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में एकसाथ आयोजित होगी। इस लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, सिविल प्रकरण, चेक बाउंस, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रीलिटिगेशन प्रकरण तथा नगरपालिका के मामलों का निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेंद्र सिंह परस्ते ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में मामलों के निराकरण पर संपूर्ण कोर्ट फीस वापस हो जाती है और विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। साथ ही, नगरपालिका के प्री-लिटिगेशन मामलों में नियमानुसार छूट का भी प्रावधान किया गया है।

विद्युत प्रकरणों में विशेष छूट

नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष रियायतें भी प्रदान की जाएंगी प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा निर्धारित सिविल दायित्व राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही, भुगतान में चूक पर लगने वाले 16 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व राशि पर 20 प्रतिशत की छूट तथा चूक पर लगने वाले ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

छूट हेतु लागू नियम एवं शर्तें

यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक के मामलों पर लागू होगी, निर्धारित छूट के बाद शेष राशि का एकमुश्त भुगतान आवश्यक होगा, आवेदक को अपने नाम दर्ज अन्य संयोजनों के समस्त बकाया देयकों का भुगतान करना होगा। जिन आवेदकों के नाम पर कोई वैध विद्युत संयोजन नहीं है, उन्हें कानूनी संयोजन प्राप्त करना और पुरानी बकाया राशि चुकाना अनिवार्य होगा। छूट केवल पहली बार विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के मामलों में लागू होगी। पूर्व में छूट प्राप्त उपभोक्ता पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट केवल 13 दिसंबर की नेशनल लोक अदालत में किए गए समझौतों पर ही मान्य होगी। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निपटारा कराएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक विधिक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

नगरीय निकायों को कंप्यूटरीकृत करने हेतु वेब आधारित ई-नगर पालिका 2.0 योजना

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए केंद्रीयकृत वेब आधारित ई-नगरपालिका 2.0 योजना की दो मोबाईल एप्प एमपी ई-नगरपालिका और एमपी यूएलबी एड़मिन/ मेनेजर एनड्राइड तथा आईओएस प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई गई है। यह योजना डिजिटल इण्डिया के उद्देश्य को बढ़ावा देने तथा पारदर्शी और त्वरित नागरिक सेवा देने के उद्देश्य से लागू की गयी है। यह योजना ई-गवर्नेंस का एक अनूठा उदाहरण है। ई-नगरपालिका 2.0 द्वारा नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त समस्त नागरिक सेवाओं, जन-शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य-प्रणाली, समस्त भुगतान और बजट प्रक्रिया को एकीकृत कर ऑनलाइन सुविधा प्रदाय की जा रही है।ई-नगरपालिका 2.0 का विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, राजस्व, पंजीयन विभाग आदि एवं भारत सरकार के महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप जैसे उमंग से भी एकीकृत किया गया है। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को प्रदाय करने के लिये ई-नगर पालिका 2.0 नगरीय निकायों में लागू कर दी गयी है। इसके अंतर्गत 16 मॉड्यूल तथा 24 नागरिक सेवाएँ शामिल हैं। भौतिक अवसंरचना को क्लाउड सेवाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ई-नगर पालिका 2.0 में जीआईएस एकीकरण और आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस का भी उपयोग किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर और भुगतान गेटवे के साथ ई- नगर पालिका 2.0 का एकीकरण किया गया है। ई-नगरपालिका 2.0 ओपन सोर्स प्लेटफार्म टेक्नोलॉजी पर आधारित है। विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट भी प्रारंभ की गई है। वेबसाइट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित आवश्यक जानकारी स्टेटिक और डायनामिक रूप में उपलब्ध करायी गयी है।इसके अतिरिक्त ऑनलाइन नागरिक सेवा प्रदाय किये जाने हेतु एमपी ई-नगर पालिका मोबाइल ऐप विकसित की गई है। एप्प को डाउनलोड कर नागरिक इसके माध्यम से घर बैठे-बैठे अपने संपत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार, भवन भूमि किराया, तथा अन्य करों का विभिन्न मोड जैसे यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि द्वारा भुगतान कर सकते है।

खैरहा में सनसनीखेज वारदात का आरोपी गिरफ्तार

बिजली फिटिंग के बहाने घर में घुसकर महिला उत्पीडऩ, पुलिस ने दबोचा

शहडोल।

जिले के खैरहा थाना क्षेत्र में महिला उत्पीडऩ के एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर लगभग दो वर्ष पूर्व घर में बिजली फिटिंग के बहाने आकर एक महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध गंभीर कृत्य करने का आरोप है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 08 दिसंबर को खैरहा निवासी एक फरियादी महिला ने शहडोल महिला थाना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में महिला ने बताया कि आरोपी राजेश चौधरी पिता स्व. प्रेमचंद उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम खैरहा, लगभग दो वर्ष पूर्व उनके घर बिजली फिटिंग के बहाने आता-जाता था। फरियादी के अनुसार 20 नवंबर 2023 को आरोपी ने मौका पाकर महिला की इच्छा के विरुद्ध एक गंभीर कृत्य को अंजाम दिया। इतना ही नहीं घटना के बाद आरोपी ने महिला को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, महिला थाना शहडोल में प्राथमिकी दर्ज की गई। चूंकि घटनास्थल खैरहा थाना क्षेत्र का था, इसलिए मामला असल कायमी हेतु खैरहा थाना स्थानांतरित किया गया। खैरहा पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। खैरहा पुलिस टीम ने बिना देर किए त्वरित कार्रवाई की। विवेचना के आधार पर आरोपी राजेश चौधरी को 08 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। खैरहा पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। इस गिरफ्तारी में उप निरीक्षक उमाशंकर चतुर्वेदी, सउनि रामकरन सिंह, प्र.आर. पवन कुमार शुक्ला, प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह, आरक्षक रवि कुमार, संजय कुमार, अमरसाय और महिला आरक्षक आज्ञावती सिंह की टीम ने भूमिका निभाई।

न्यायालय में विशेष सफाई अभियान

न्यायाधीशों ने किया परिसर का निरीक्षण

जयसिंहनगर।

नगर परिषद के सौजन्य से संचालित विशेष सफाई अभियान के तहत मंगलवार 9 दिसंबर को स्थानीय अपर सत्र न्यायालय परिसर में व्यापक स्वच्छता निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण माननीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट के नेतृत्व में संपन्न हुआ। न्यायाधीश श्री केवट ने परिसर के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सफाईकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके कार्य की प्रशंसा की।

निरीक्षण के दौरान न्यायालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, कचरा प्रबंधन, दैनिक सफाई और साफ-सफाई से जुड़ी चुनौतियों पर न्यायाधीश श्री केवट ने अधिवक्ताओं एवं न्यायालय कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

निरीक्षण टीम में न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सुश्री कीर्ति उईके, न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सुश्री लघुता मरकाम सहित न्यायालय के सम्मानित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं पक्षकारों की सहायता हेतु सेवारत अधिवक्ता महेश पटेल, राजेश मिश्रा, संतोष तिवारी, बालगोविंद द्विवेदी, आशीष चतुर्वेदी, रूद्रप्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी दर्ज की। नगर परिषद के स्वच्छता प्रभारी और सफाईकर्मियों की उपस्थिति में आयोजित इस विशेष स्वच्छता अभियान ने न्यायालय परिसर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने की दिशा में सकारात्मक संदेश दिया। न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के अभियान न्यायालय के वातावरण को स्वच्छ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभियान के सफल आयोजन से परिसर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सहयोग की भावना और अधिक मजबूत हुई है।

पंचायतों के उप निर्वाचन के मद्देनजर जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2025 (उत्तरार्ध) के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप आदर्श आचरण संहिता लागू होने के परिपेक्ष्य में निर्वाचन अवधि में चुनाव प्रचार-प्रसार, रैली, सभा आदि के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन करने के लिये, साम्प्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष तिवारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश आदर्श आचरण संहिता लागू रहने तक के लिये उप निर्वाचन 2025 (उत्तरार्ध) हेतु में कटनी जिले के जनपद पंचायत रीठी के ग्राम पंचायत सैदा के वार्ड क्रमांक 10, जनपद पंचायत ढीमरखेडा के ग्राम पंचायत बिचुआ के वार्ड क्रमांक 10, जनपद पंचायत कटनी के ग्राम पंचायत घंघरीकला के वार्ड क्रमांक 10 एवं ग्राम पंचायत घंघरीखुर्द के बार्ड क्रमांक 05, जनपद पंचायत बडवारा के ग्राम पंचायत देवरी के वार्ड क्रमांक 12, ग्राम पंचायत लुहरवारा के वार्ड क्रमांक 01 एवं ग्राम पंचायत निगहरा के वार्ड क्रमांक 11, जनपद पंचायत बहोरीबंद के ग्राम पंचायत पटना के वार्ड क्रमांक 10, ग्राम पंचायत मसंधा के वार्ड क्रमांक 02, ग्राम पंचायत सिंदुरसी के वार्ड क्रमांक 02, ग्राम पंचायत बड़खेरा भरदा के वार्ड क्रमांक 08 एवं ग्राम पंचायत तिहारी के वार्ड क्रमांक 07, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के ग्राम पंचायत फुटेश्वर के सरपंच पद हेतु संपूर्ण ग्राम पंचायत की सीमा में लागू रहेगा। कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार-प्रसार, रैली, सभा स्थलों आदि में किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे फार्म नं. 3 जानमाल सुरक्षा हेतु स्वीकृत शस्त्र एवं फार्म नं. 5 में फसल सुरक्षा हेतु स्वीकृत लायसेन्सों में दर्ज शस्त्रों एवं फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, बरछी, त्रिशूल, इत्यादि लेकर आना-जाना अथवा उनका सार्वजनिक स्थल पर उपयोग व प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

खबर संक्षेप

उपार्जित धान के परिवहन व मिलिंग कार्यों में लगे ट्रकों को विशेष अनुमति

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का परिवहन कराया जाकर निर्धारित उपार्जन केन्द्रों से गोदामों तक परिवहन कराया जाना है एवं परिवहन के साथ-साथ राइस मिलर्स द्वारा भी उपार्जन केन्द्रों से राइस मिल तक धान का परिवहन कर मिलिंग कर चावल गोदामों में जमा कराया जाएगा। चूंकि धान खरीदी खुले मैदान में होती है, वर्षा होने पर धान खराब न हो साथ ही स्वीकृति पत्रक एक सप्ताह के अन्दर जारी कर किसानों का भुगतान समय पर हो इस कार्य को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के स्टॉक के त्वरित परिवहन कराए जाने हेतु परिवहन/मिलिंग कार्यों में संलग्न ऐसे ट्रकों को जिनके पास धान, चावल, बारदाना का ट्रक चालान/मिलर्स द्वारा प्रस्तुत संबंधित दस्तावेज होंगे धान उपार्जन/मिलिंग अवधि हेतु जिले के भीतर नो-इंट्री से परिवहन करने की छूट एवं टोल नाकों पर जीरो लेन से आने-जाने की अनुमति प्रदान की है।

रथ यात्रा में शिव मारुति युवा संगठन ने की स्वदेशी अपनाने की अपील

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा का अनूपपुर में शिव मारुति युवा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। रथ यात्रा 8 दिसंबर को अनूपपुर पहुँची जहां विभिन्न संकल्प स्वागत समारोह का आयोजन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सभी को "स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ" के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु पत्रक भी वितरित किए गए। इसके बाद अनूपपुर सामतपुर मंदिर चौक में भव्य स्वागत एवं रैली सभी स्वदेशी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने रथ यात्रा का स्वागत किया तथा स्वदेशी संकल्प की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों से आह्वान किया गया कि वे स्वयं स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। रथ यात्रा में शिव मारुति युवा संगठन के बृजेश,राठौर, राहुल अग्रहरि, मनीष गौतम, सुशील राठौर, मनीष राठौर, भूषण विश्वकर्मा एवं मार्गदर्शक राजा ताम्रकार, राकेश अग्रवाल उपस्थित रहे स अंत में रथ यात्रा को शहडोल के लिए रवाना किया गया।

हरिभूमि में खबर प्रकाशन के बाद कलेक्टर पहुंचे उपार्जन केंद्र खूंटा टोला

अव्यवस्था पर भड़के कलेक्टर ने दिये केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश

एक बार फिर हरिभूमि ने निभाई जन सेवा की जिम्मेदारी

उपार्जन केन्द्र में अपेक्षित सुधार की अभी भी आवश्यकता, कम जरूर लेकिन खत्म नहीं समस्या

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने मंगलवार को जनपद पंचायत जैतहरी के खूंटा टोला उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धान उपार्जन कार्य प्रारंभ न होने पर उन्होंने तत्परता दिखाते हुए जिला खाद्य अधिकारी को केंद्र प्रभारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान उपार्जन कार्य तुरंत शुरू किया जाए तथा किसी भी किसान को कोई असुविधा न हो। उनके निर्देशों के बाद प्रशासन ने तेजी दिखाई और शाम तक उपार्जन केंद्र पूरी तरह शुरू कर दिया गया। अब केंद्र पर प्रतिदिन वाहनों के माध्यम से धान का सुव्यवस्थित रूप से उपार्जन किया जा रहा है, जिससे किसानों में संतोष और विश्वास का वातावरण बना है। यह पहल किसानों को राहत देने और उपार्जन व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन ने जनसंपर्क के माध्यम से दी, लेकिन इस दौरान हरिभूमि ने उपार्जन केन्द्र की वास्तविकता की जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि खूंटा टोला उपार्जन केंद्र पर धान उपार्जन कार्य तो प्रारंभ कर दिया गया परंतु अव्यवस्थाएँ अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। मंगलवार को केंद्र खुलने के बाद भी कई किसानों को तौल न होने की समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे नाराज़गी और बढ़ गई। कुल मिलाकर अभी तक की स्थिति मे जिला प्रशासन की जानकारी व उपार्जन केन्द्र की वास्तविकता मे विरोधाभास नजर आया। अब देखना होगा कि कितनी जल्द यहां की दुरूस्त व्यवस्था अन्य उपार्जन केन्द्रों के लिए मिशाल बनती है।

हरभूम
व्यवस्थित उपार्जन केंद्रो मे कलेक्टर के निर्देश बेअसर
खूंटाटोला उपार्जन केंद्र में धान खरीदी नहीं हो सकी शुरू

खबर का असर

हरिभूमि की खबर पर कलेक्टर ने तत्काल लिया संज्ञान

एक लोकतांत्रिक समाज में, समाचार पत्र जनता के अधिकारों के प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। यह सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जन सेवा की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुये हरिभूमि ने खूंटा टोला उपार्जन केंद्र मे मची भर्रेशाही की वास्तविकता से जिला प्रशासन को अवगत कराया था। हरिभूमि ने 5 दिसंबर के अंक मे खबर का प्रकाशन कर यहां चल रही मनमानी से पर्दा उठाया था, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही न करने व खूंटा टोला उपार्जन केन्द्र से जुड़े किसानों की समस्याओं का पुख्ता समाधान नही होने पर पुनः 9 दिसंबर के अंक मे यहां की भर्रेशाही पर प्रमुखता से खबर का प्रकाशन कर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया। जिस पर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने तुरंत संज्ञान लेकर 9 दिसंबर को ही जैतहरी के खूंटा टोला उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया और केंद्र प्रभारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के निर्देश के साथ ही तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये।

हरिभूमि ने निभाई जन सेवा की जिम्मेदारी

अखबार जन सेवा की जिम्मेदारी निभाते हैं क्योंकि वे सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं, लोगों को जानकारी देकर जागरूक करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, भ्रष्टाचार पर नज़र रखते हैं और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है और समाज में बदलाव आता है। जो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है और इसी जिम्मेदारी का पालन करते हुये हरिभूमि खबर के माध्यम से जन सेवा की। हम न केवल खबरें देते हैं, बल्कि समाज को शिक्षित, सशक्त और जागरूक करके 'चौथी शक्ति' के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। हमने अपने कर्तव्यों का पहले भी बखूबी निर्वहन किया है और आगे भी करते रहेंगे।

उपार्जन केंद्र खुला तो ज़रूर पर परेशानी जस की तस

खूंटा टोला उपार्जन केंद्र आज से चालू कर दिया गया है, लेकिन अव्यवस्थाएँ अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। केंद्र खुलने के बाद भी कई किसानों को तौल न होने की समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे नाराज़गी और बढ़ गई है। सबसे पहले धान लेकर पहुंचे ग्राम पंचायत पड़रिया के किसान गोविंद सिंह राठौर ने बताया कि वह सुबह ही धान लेकर उपार्जन केंद्र पहुँचे, लेकिन केंद्र खुला तो है, पर तौल नहीं हो रही है। हम धान लेकर वापस कैसे जाएं, यह सबसे बड़ी परेशानी है वही दूसरे किसान गोविंद सिंह के अनुसार केंद्र पर आवश्यक स्टाफ और तौल मशीन की सक्रियता में देरी के कारण तौल प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। किसानों ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा कि केंद्र खुलने के बावजूद काम न होने का कोई औचित्य नहीं है। ग्राम पंचायत मुंडा खालवारा के किसान उदय भान राठौर ने भी कहा कि केंद्र खुला है लेकिन काम अभी भी अधूरा है। जब तौल ही नहीं होगी तो किसानों का नुकसान तो जारी रहेगा। ग्राम पंचायत धनगांव के किसान मोहनलाल राठौर ने बताया कि रोजाना लंबी दूरी तय कर धान लेकर आ रहे किसानों को तौल न होने के कारण अपनी उपज वापस ले जाना पड़ रहा है, जिससे समय, भाड़ा और मेहनत तीनों का नुकसान हो रहा है। यहां की खाली कुर्सी सब कुछ बयां कर रही है।

अपने ही घरों में बंधक बन कर रह गये कुछ परिवार

हरिभूमि न्यूज, अनूपपुर। जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 9 के कुछ परिवार घरों मे बंधक बन कर रह गये हैं। रेलवे की जमीन पर ठेकेदार ने घरों के दरवाजे तक गहरी नाली का गड्ढा खोद दिया है। पिछले कुछ दिन से काम बंद करके ठेकेदार लापता है। जो काम जल्दी पूरा करके लोगों की परेशानी खतम कर देना था, ठेकेदार की मनमानी से लोगों की परेशानी बढ गयी है। दर असल निर्माणाधीन रेलवे ओव्हर ब्रिज के पूर्वी हिस्से मे नाली का निर्माण हो रहा है। नाली की गहराई और चौडाई रेलवे के मापदंडों के अनुरुप होगी। नाली निर्माण जल निकासी के लिये आवश्यक है और इसका विरोध भी कोई नहीं कर रहा, लेकिन घरों के मुख्य दरवाजे तक गहरी नाली खोद कर काम बंद कर दिया गया है। जिसके कारण लोग घर मे ही बंधक से हो गये हैं। लोगों का आना जाना बन्द हो गया है। लोगों ने ठेकेदार से बात भी किया तो कोई असर नहीं हुआ। चार-पांच दिन से काम बंद है और ठेकेदार ने लोगों के सुखाधिकार का हनन कर रखा है। लोगो को दुर्घटना की आशंका है। जिला प्रशासन और रेलवे से मामले मे दखल देने और त्वरित राहत दिलवाने की लोगों ने मांग की है।

शोभायात्रा के साथ संगीतमय श्रीमद्भागवत महापुराण का हुआ शुभारंभ

हरिभूमि न्यूज, अनूपपुर। धर्म की नगरी बन चुकी अनूपपुर में 9 दिसंबर से संगीतमय श्रीमद भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ श्रीमदभागवत शोभायात्रा के साथ प्रारंभ हो गई। शहर में संगीतमय श्रीमद भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 9 से 19 दिसंबर तक चलेगा। जिसमें कथावाचक 108 रामशंकर दास वेदांती पीठाधीश्वर श्रीराम वल्लभाकुंज जानकी घाट, अयोध्या रहेंगे। कथा स्थल संकल्प कॉलेज एवं पुराना पोलिटेक्निक कॉलेज के पीछे, वार्ड क्र. 11 शंकर मंदिर बस्ती रोड, अनूपपुर है। कथा का समय दोपहर 3 से सायं 6 बजेतक रहेगा। मुख्य यजमान शिवकरण प्रसाद शुक्ला एवं केशव प्रसाद द्विवेदी रहेंगे। कार्यक्रम आयोजक सुनील, राजकुमार (लल्ला) एवं जितेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा में 9 दिसम्बर, दि.मंगलवार, श्रीमदभागवत शोभायात्रा के साथ प्रारंभ हो गई। आज 10 दिसम्बर, दि. बुधवार,कथा प्रारम्भ, श्रीमदभागवत माहात्म्य कथा 11 दिसम्बर, दि. गुरुवार श्रीशुक, परीक्षित जन्म, श्रीभीष्मपितामह प्रसंग, 12 दिसम्बर, दि. शुक्रवार कपिल देवहूति संवाद, श्रीशिव विवाहोत्सव, 13 दिसम्बर, दि. शनिवा ध्रुव, श्रीजड़भरत, अजामिल, श्रीप्रल्हाद चरित्र, श्रीवामन, श्रीराम, श्रीकृष्णजन्मोत्सव, 14 दिसम्बर, दि. रविवार श्री कृष्ण की बाललीला, श्री गोवर्धन पूजा, 15 दिसम्बर, दि. सोमवार महारास,कंस वध,उद्धव चरित्र, श्रीकृष्ण रुक्मिणी विवाहोत्सव, 16 दिसम्बर, दि. मंगलवार श्रीकृष्ण के अन्यान्य विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, 17 एवं 18 दिसंबर को श्री हरि नाम संकीर्तन सभा अधिवेशन राम कथा आयोजित की गई है, 18 दिसम्बर, दि. बुधवार चढोत्री एवं पूर्णाहूती एवं एवं 19 दिसम्बर, दि. शुक्रवार भंडारा दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है। आयोजकों ने सभी से संगीतमय श्रीमद भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में उपस्थिति की अपील की है।

... तो यहां आदिवासी छात्रावास नहीं भ्रष्टाचार का हो रहा विकास

छात्रावास से एसडीएम कार्यालय तक पहुंचा छात्रों का आक्रोश, दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

हरिभूमि न्यूज राजेन्द्रग्राम। सड़क के बीचोबीच लगे ट्रांसफार्मर ने खोली भ्रष्टाचार की पोल अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में आदिवासी छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। बालक आदिवासी छात्रावास बसनिहा की बदहाली, अवैध गेट और 10 लाख की घटिया सीसी सड़क ने जनआक्रोश को चिंगारी दे दी है। नारेबाज़ी करते छात्र एसडीएम कार्यालय पहुंचे और साफ चेताया है कि अब सहन नहीं, कार्रवाई या आंदोलन तय है।

संयुक्त आदिवासी बालक छात्रावास बसनिहा सांधा आज विकास का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, लापरवाही और सत्ता तंत्र की मिलीभगत का प्रतीक बन चुका है। एक ओर अवैध गेट को हटाने के आदेश हवा में उड़ाए गए हैं, तो दूसरी ओर 15वें वित्त मद से करीब 10 लाख रुपये खर्च कर बनाई गई सीसी सड़क भ्रष्टाचार की जीवित मिसाल बन गई है। यह सड़क छात्रावास, शासकीय आयुर्वेद औषधालय पुष्पराजगढ़ और प्राथमिक विद्यालय सांधा टोला को जोड़ती है, जहां छात्र, मरीज और बच्चे रोजाना आना-जाना करते हैं। कच्ची सड़क की समस्या दूर होने की उम्मीद लिए बैठे लोगों को "विकास" के नाम पर घटिया सड़क थमा दी गई, जो बनते ही उखड़ने लगी है। ठेकेदार, उपयंत्री और जनप्रतिनिधियों की तिकड़ी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ आदिवासी छात्र संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है।

भ्रष्टाचार की सीसी सड़क

बालक आदिवासी छात्रावास की बाउंड्री वॉल में लगाया गया अवैध गेट पूरे मामले की जड़ बन गया है। तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण कर गेट हटाने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे, लेकिन महीनों बाद भी गेट जस का तस खड़ा है। इससे छात्रावास की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है और असामाजिक तत्वों की आवाजाही की आशंका बनी हुई है। छात्रों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यह मामला अब केवल गेट हटाने का नहीं, बल्कि प्रशासनिक साख और कानून के सम्मान का सवाल बन चुका है। जनपद पंचायत के 15वें वित्त मद से स्वीकृत करीब 10 लाख रुपये की सीसी सड़क विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि लूट का सबूत बन चुकी है। निर्माण के कुछ ही दिनों में सड़क उखड़ने लगी, दरारें पड़ गईं और गिट्टी बाहर झांकने लगी है। न बेस मजबूत है, न मोटाई मानक के अनुसार है। स्थानीय लोगों और छात्रों का आरोप है कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर लाखों का खेल कर दिया गया है। अब ऊपर से लेपन कर लीपापोती की जा रही है, ताकि भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा सके।

सड़क के बीचोबीच ट्रांसफार्मर

यह सड़क आदिवासी छात्रों, छोटे बच्चों और मरीजों के लिए राहत बन सकती थी, लेकिन वह उनके सपनों पर करारी चोट बन गई है। सड़क की जर्जर हालत बता रही है कि आवंटित राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रही है। कागजों में मजबूत सड़क, जमीन पर शर्मनाक हकीकत यही इस निर्माण की सच्चाई है। लोगों का कहना है कि यह विकास नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्र में सुनियोजित लूट है। सवाल यह है कि जब सड़क खुद गवाही दे रही है, तो जिम्मेदार कब बोलेंगे। भ्रष्ट योजना का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण शासकीय आयुर्वेद औषधालय की ओर जाने वाली सड़क के बीचों-बीच खड़ा बिजली का ट्रांसफार्मर है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि तकनीकी अराजकता का नमूना है। सड़क का उद्देश्य सुरक्षित आवागमन होता है, लेकिन यहां खतरा ही बना दिया गया है। किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। छात्रों का सवाल है कि क्या यह सड़क जनता के लिए बनी है या भ्रष्ट सिस्टम की मूर्खता दिखाने के लिए। आदिवासी छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर अवैध गेट नहीं हटाया गया, घटिया सीसी सड़क की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, दोषियों पर कार्रवाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल नहीं की गईं, तो छात्र आंदोलन करेंगे। स्टेट हाईवे पर चक्का जाम तक की चेतावनी दी गई है। छात्रों ने साफ कहा है कि आंदोलन की जिम्मेदारी तहसील और जिला प्रशासन की होगी।

इनका कहना है:

मैंने सड़क देखी है, काम घटिया स्तर का है। पंचायत को नोटिस जारी कर भुगतान पर रोक लगेगी। सुशील मिश्रा, उपयंत्री मौके में जा कर मैने देखा है, घटिया निर्माण किया गया है सचिव को भुक्तान न करने के लिए निर्देश दिए है जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

गणेश पाण्डेय, सीईओ
जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़

छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

वसीम अहमद भट्ट
अनुविभागीय दंडाधिकारी पुष्पराजगढ़

विभिन्न मांगों को लेकर अभाविप ने तुलसी महाविद्यालय की तालाबंदी कर किया प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूजअनूपपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मंगलवार को तुलसी कॉलेज की तालाबंदी कर 3 घंटे तक उग्र आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि जल्दी ही समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो छात्र सड़क पर बैठकर भी आंदोलन करेगा जिसका जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन होगा। आए दिन देखा जाता है कि महाविद्यालय की छात्र-छात्रा कई समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं जैसे हाल ही में आए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र में आक्रोश है, नियमित कक्षाओं का संचालन न होना, महाविद्यालय परिसर के अंदर शिक्षक नशा करके आते हैं, छात्र-छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था का ना होना जिसके कारण बाहर के असामाजिक तत्व कॉलेज में प्रवेश करते हैं। अंकसूची, टीसी के नाम पर पैसा वसूली का काम किया जाता है, छात्रों के लिए पेयजल शौचालय व्यवस्था व छात्राओं के लिए सेनेटरी वेंडिंग मशीन की व्यवस्था का ना होना, शिक्षकों द्वारा बच्चों को गुमराह करना, कुछ विषयों के शिक्षक न होना, जन भागीदारी मदद से महाविद्यालय में कराए गए कार्यों में धांधलेबाजी करना, लाइब्रेरी को संचालित ना करना, महाविद्यालय के जमीन पर निर्मित खेल मैदान का आधिपत्य नगर पालिका की वजह महाविद्यालय को देना, महाविद्यालय के दोनों मुख्य द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करना, छात्रों के लिए प्रैक्टिकल व्यवस्था करना बस की व्यवस्था करना, आदि कई प्रमुख मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं तुलसी महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने मिलकर महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर उग्र आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान अनुविभागीय दण्डाधिकारी व महाविद्यालय के प्राचार्य उपस्थित रहे। जिला प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रशासन के माध्यम से यह आश्वासन दिया गया की 15 दिवस के अंदर सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। यदि इन प्रमुख मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद पुनः उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा जिसका जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन होगा। आंदोलन ज्ञापन के दौरान जिला संगठन मंत्री शिवेंद्र चतुर्वेदी, विभाग संयोजक अखिलेश सिंह, प्रणव मिश्रा, प्रांत कार्यकारिणी लवकुश रौतेल, नगर मंत्री अभिषेक तिवारी, राजा, दीपक, प्राची, निशि, सिमरन, नैना, शिवा, शुभम, जय, अमन परिहार, अजय, धीरेंद्र आदित्य शिवम, सतीश, लोचन आस्था, इल्मा, कल्पना आसमा, आयुष, अरमान सौरभ आदि कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर परिषद बनगवॉ (राजनगर), जिला-अनूपपुर (म.प्र.)
Office: Municipal Council Bangavan Dist-Anuppur (M.P.) Email-cmobangavan@mp.urban.gov.in

क्रमांक. 1472 न.परि./स्था./जेम बिड 2025 — बनगवां दिनांक-09/12/2023

/ /निविदा सूचना / /

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पुजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदा gem portal के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाईट gem portal पर देखी जा सकती है।

क्रं.	टेण्डर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ईएमडी	निविदा की अंतिम तिथि
01.	GEM/2025/B/ 6965262	Phenolic Powder, Carbolic Powder, Black Phenyl, White Phenyl, Bleaching Powder	01 माह	---	दिनांक 24.12.2025 समय- 12:00

नोट :- किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन gem portal की वेबसाईट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नही किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद,बनगवां (राजनगर)
जिला अनूपपुर (म.प्र.)